दिनांक 30.08.2011 को मंथन सभागार, वन मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में डा.आर.बी.एस. रावत, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित की गई उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की पंचम बैठक का कार्यवृत्त तथा उपस्थिति का विवरणः–

समिति के सदस्यगणः–

1. **डा.आर.बी.एस. रावत**, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति।
2. **श्री एस.एस. शर्मा**, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति।
3. **डॉ. रेखा पै**, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
4. **श्री एस.एस. रसाईली**, निदेशक–राजाजी राष्ट्रीय पार्क, (प्रतिनिधि–मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति)।
5. **श्री गिरीश चन्द्र रस्तोगी**, उप–निदेशक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय (प्रतिनिधि–अपर प्रमुख वन संरक्षक–वन संरक्षण /नोडल अधिकारी एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
6. **श्री एम.एस. बिष्ट**, प्रमुख वन संरक्षक, कार्यालय में कार्यरत वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
7. **श्री जगत सिंह चौहान**, अध्यक्ष–पर्यावरण राग जन–जन जागृति समिति (पराज), उत्तरकाशी, सदस्य–कार्यकारी समिति।
8. **श्री विजय कुमार**, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

आमंत्रीः–

श्री श्रवण कुमार, उप निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखण्ड।

बैठक का शुभारम्भ करते हुये उत्तराखण्ड कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) की पंचम बैठक का एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या –5.1: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 26.02.2011 को सम्पन्न हुई चतुर्थ कार्यकारी समिति की बैठक में उभरे बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग तथा लैन्सडौन वन प्रभाग की अनुपालन आख्या प्राप्त हुई, जबकि बैठक का एजेण्डा वितरित करने के उपरान्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन व प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव के स्तर से अनुपालन आख्या प्राप्त हुई। अन्य सभी सम्बन्धित स्तरों से अनुपालन की स्थिति अभी तक अप्राप्त है।

अनुपालन की उपरोक्त स्थिति को कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा गम्भीरता से लिया गया तथा निर्देश दिए गये कि समिति की बैठकों में लिए जाने वाले निर्णयों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा अनुपालन न करने की दशा में सम्बन्धित प्रभागों को अग्रेत्तर धनराशि अवमुक्त न की जाय।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

चतुर्थ कार्यकारी समिति में Eco Service Delivery Centre स्थापना के लिए स्थल चयन हेतु निर्देशित किये जाने के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत को सुझाव दिया गया कि जिन जनपदों में वन पंचायतें सक्रिय है, वहां पर 10 से 12 वन पंचायतों के बीच में एक Eco Service Delivery Centre को स्थापित करने हेतु चिन्हीकरण किया जाय। अध्यक्ष महोदय द्वारा जनपद चमोली में मलारी,

पांडुकेश्वर, पीपलकोटी, विरही, धराली, देवाल, गैरसैण, गौचर आदि तथा जनपद उत्तरकाशी के मोरी, नौगांव आदि स्थानों पर उक्त Centres की स्थापना का सुझाव दिया गया। जिन जनपदों (यथा–उत्तरकाशी आदि) में उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के बाद अधिकांश वन पंचायतों का गठन हुआ है, उन जनपदों में ब्लॉक स्तर पर उक्त केन्द्रों की स्थापना उचित रहेगी।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत)

कार्यसूची बिन्दु संख्या –5.2: APO 2010-11 एवं 2011-12 के क्रियान्वयन की अद्यावधिक प्रगति के अंतर्गत सर्वप्रथम जिन कार्यान्वयन अभिकरणों का उनको अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष धनराशि का उपयोग उनकी अन्तिम मासिक रिपोर्ट तथा कैम्पा MIS में प्रविष्टि के आधार पर अत्याधिक भिन्नता है, पर चर्चा हुई जिसमें राजाजी राष्ट्रीय पार्क तथा प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के स्तर पर MPR के अनुसार 83 प्रतिशत व्यय किए जाने के बावजूद MIS में अत्याधिक कम प्रविष्टि क्रमशः 33.74% तथा 3.88% को संज्ञान में लेते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त दोनो कार्यान्वयन अभिकरणों को उनकी MPR के अनुसार CAMPA MIS में अविलम्ब प्रविष्टि पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गये।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत तथा उप निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क)

कैम्पा निधि के अंतर्गत किए जा रहे कार्यो की धीमी गति को समिति द्वारा संज्ञान में लेते हुए निम्नांकित निर्देश दिए गए:–

1. निर्माण कार्यो को आवश्यक रूप से टेण्डर/आउट सोर्सिंग के माध्यम से करवाया जाय ताकि कार्यो का निष्पादन समयबद्ध हो एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर हो।
2. अन्य जो कार्य आउट सोर्सिंग से कराए जा सकते है उनका भी चिन्हीकरण करते हुए जोन स्तर से क्रियान्वयन प्रभागों को निर्देश निर्गत किये जाये।
3. बीट, रेंजों के पुर्नगठन के उपरान्त बीट/रेंजों के मानचित्रों की दो–दो प्रतियॉ आउट सोर्सिंग के माध्यम से वन मुख्यालय स्तर पर IT Cell के माध्यम से बनावाई जाय।
4. जो गतिविधियॉ कैम्पा निधि व राज्य सैक्टर के बजट दोनों से कराई जा रही है तथा राज्य सैक्टर से बजट आवंटन अत्याधिक कम होता है ऐसी गतिविधियों का चिन्हीकरण करते हुए उनको यथासम्भव कैम्पा निधि के बजट से करवाया जाय।
5. भूमि संरक्षण वन प्रभागों को फायर लाईन सम्बन्धी भौतिक/वित्तीय लक्ष्य आंवटन न किए जाय।
6. प्रभागवार स्थल विशिष्ट के नियोजन (Site specific Planning) को अविलम्ब पूर्ण कर लिया जाय तथा सम्बन्धित जोनल स्तरों (प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक–वन्यजीव, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल, मुख्य वन संरक्षक–कुमॉऊ) के अनुमोदन उपरान्त 30 सितम्बर, 2011 तक उक्त विवरण की प्रविष्टि प्रभाग स्तर से कैम्पा MIS में कर दी जाय।

(कार्यवाही–समस्त कार्यान्वयन अभिकरण एवं सम्बन्धित मण्डल/जोन प्रमुख)

कार्यसूची बिन्दु संख्या –5.3: उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2011–12 की वार्षिक रिपोर्ट का आलेख का सदस्यगणों द्वारा अवलोकन करने उपरान्त गतिविधियों के फोटोग्राफ्स वार्षिक रिपोर्ट में डालने के सुझाव सहित वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या–5.4: उत्तराखण्ड कैम्पा निधि से किये गये कार्यो की आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की संस्तुतियों का सारांश सदस्यगणों के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया गया।

वित्त नियंत्रक, वन विभाग को उपरोक्त ऑडिट रिपोर्ट की संस्तुतियों का तकनीकी परीक्षण करने तथा तदनुसार समस्त कार्यान्वयन अभिकरणों /वन प्रभागों को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करने एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निर्णय लिया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि दिनांक 16.05.2011 को संचालन समिति द्वारा अनुमोदन उपरान्त कार्यान्वयन अभिकरण/प्रभाग स्तर पर कैम्पा के लेखा हेतु डबल एन्ट्री सिस्टम को लागू करने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

(कार्यवाही–वित्त नियंत्रक, वन विभाग, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची बिन्दु संख्या–5.5: उत्तराखण्ड कैम्पा निधि संगम अनुच्छेद के बिन्दु संख्या–35 कार्यो का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (1) के अनुसार **"राज्य में उपलब्ध धनराशि को प्रयोग कर कृत कार्यो के समवर्ती अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु एक स्वतन्त्र प्रणाली विकसित की जाएगी तथा धन का सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु उस पर अनुपालन किया जाएगा।"** के क्रम में सूचीबद्ध संस्थाओं व व्यक्तिगत सलाहकारों एवं उनको निर्गत कार्यादेश का विवरण सदस्यगणों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि जुलाई, 2011 में समस्त राज्यों के कैम्पा के राष्ट्र स्तरीय सम्मेलन में उत्तराखण्ड कैम्पा के तीन कार्यो –1. Management Information Suystem (MIS), 2. Monitoring and Evaluation, 3. कैम्पा आंतरिक लेखा परीक्षण एवं नियंत्रण पद्धति की प्रक्रिया को लागू करने को विशेष रूप से सराहा गया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या–5.6: अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना 2010–11 के सापेक्ष किये गये कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां कार्यकारी समिति के स्तर से निर्गत किये जाने हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाईटी के संगम अनुच्छेद के बिन्दु संख्या–28 "वित्तीय स्वीकृति" पर उत्तराखण्ड कैम्पा की चतुर्थ कार्यकारी समिति के द्वारा जोन/मुख्य स्तरों से स्वीकृतियों के सारांश उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यालय को उपलब्ध कराने एवं इस प्रकार प्राप्त Abstract को कार्योत्तर वित्तीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश के क्रम में समिति को अवगत कराया गया कि किसी भी स्तर से उक्त वित्तीय स्वीकृतियों का सारांश (Abstract) प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि कुछ सक्षम स्तरों से जारी वित्तीय स्वीकृतियों की प्रतियां कैम्पा कार्यालय में प्राप्त हुई हैं, जिनका सारांश सदस्यगणों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति के सदस्यों द्वारा कार्योत्तर वित्तीय स्वीकृति दिये जाने पर चर्चा की गई कि समिति द्वारा सभी कार्यो की कार्योत्तर वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना व्यवहारिक नहीं है, समय अभाव के कारण इस पर आगामी बैठक में चर्चा करने का सुझाव दिया गया।

उपरोक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2011–12 के स्वीकृत APO के सापेक्ष विभिन्न सक्षम स्तरों से वित्तीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों के निम्नांकित सारांश को समिति के समक्ष वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया:–

क्र0 सं0	कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	कार्य का नाम	धनराशि (रु0 में)	प्रस्ताव प्रेषित करने का स्तर	पत्रांक व दिनांक	अभ्युक्ति
1	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग	मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा (रई एवं कुण्ड झील का निर्माण कार्य)	7158000.00 9196000.00	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त	71/3–6 दिनांक 12.07.11	APO में प्राविधान के अन्तर्गत रू. 25.00 लाख की स्वीकृति दी जा सकती है।
2	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत	राज्य समन्वयक, वन पंचायत को अन्य सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में	309,000.00	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत	395/पी.ए. दिनांक 27.06.11	
3	निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व	स्वराज माजदा मॉडल 4WDBTCIII WV-3365, रेस्कयू वाहन खरीद के सम्बन्ध में	2,000,000.00	प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव	2497/5–3 दिनांक 04.06.11	
4	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के कार्यो हेतु वाहन का क्रय	600,000.00	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा	–	–
		योग	**19,263,000.00**			

उपरोक्त प्रथम प्रस्ताव में रई–कुण्ठ झील हेतु स्वीकृत APO 2011–12 के आधार पर रू॰ 25.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गई तथा तद्नुसार रई–कुण्ड झील निर्माण के प्राक्कलन को Revisit करते हुऐ समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। वन संरक्षक (गढ़वाल वृत्त) द्वारा इस संबंध में प्रेषित प्रस्ताव में लगभग 80% धनराशि पक्की बटिया (RCC Path) बनाने हेतु इंगित की है, जोकि समिति द्वारा उपयुक्त नहीं पाई गई। रूपये 25.00 लाख में किए जाने वाले कार्यो के पुनर्निर्धारण हेतु समिति द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को अधिकृत किया। प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के समन्वयक संबंधी प्रस्ताव पर समिति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति देते हुए स्वीकृति एवं नियमानुसार क्रियान्वयन हेतु प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत को अधिकृत किया गया। प्रस्ताव सं0–3 व 4 पर सम्बन्धित कार्यालय को DGS&D की दरों पर नियमानुसार वाहन क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई बशर्ते स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना में उक्त वाहन क्रय हेतु धनराशि का प्राविधान हो। तद्नुसार Rescue Vehicle का क्रय प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड के तकनीकी दिशा निर्देशन उपरान्त ही किया जाय।

APO 2011–12 के अर्न्तगत नियमानुसार कार्य करने/सामाग्री/सेवाएं क्रय करने की सम्बन्धित स्तरों से स्वीकृतियां निर्गत करने में निम्नांकित बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देशों सहित स्वीकृतियां जारी की जाएं, के निर्देश समिति द्वारा दिए गए :–

1. आवेदित वित्तीय स्वीकृति के कार्यों के लिए स्वीकृत/संशोधित वार्षिक कार्ययोजना की निर्धारित कार्यमदों में धनराशि का प्राविधान हो।
2. Functional मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक/प्रमुख वन संरक्षक के तकनीकी क्षेत्र से सम्बन्धित गतिविधियों में उनसे सम्पूर्ण समन्वयन सहित तकनीकी निर्देशन प्राप्त किया जाय।

3. प्राक्कलन वन विभाग की स्वीकृति अनुसूचित दरों पर बनाए जाएं। किसी कार्य की विभाग में अनुसूचित दरें उपलब्ध न होने पर जलागम प्रबन्ध निदेशालय अथवा गतिविधि से सम्बन्धित विभाग की अनुसूचित दरें समान कार्य व Specification के लिए उपयोग में लाई जाएं।
4. वास्तविक कार्यों का सम्पादन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुरूप प्राप्त प्रतियोगी दरों पर आधारित हो। जिन कार्यों हेतु प्रतियोगी दरें प्राप्त करना सम्भव न हो, तब कार्य सम्पादन अनुसूचित दरों पर आधारित होना चाहिए एवं उत्तराखण्ड कैम्पा के संगम अनुच्छेद 31(1) (छ) का अनुपालन किया जाय। यथासम्भव आवश्यकता के अनुरूप राज्य/केन्द्र सरकार के संस्थानों का प्रासंगिक व यथोचित उपयोग नियमानुसार किया जाय।
5. कैट प्लान सम्बन्धी कार्य संचालन समिति द्वारा अनुमोदित प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्रांक– 2023/13–2(2) दिनांक 25.03.2011 के निर्देशों एवं कैट प्लान परियोजना के सुचारु संचालन के लिए प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्रांक–ख–174/13–2(2) दिनांक 03.08.2011 **(संलग्नक–9)** के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
6. वार्षिक कार्ययोजना के सभी कार्यों की स्थल विशिष्ट की योजना/कार्यक्रम बना लिये जायं। क्षतिपूरक वृक्षारोपण, संरक्षित क्षेत्र, "अन्य" विशिष्ट कार्य व कैट प्लान के कार्यों की स्थल विशिष्ट की योजनाओं/कार्यक्रम के स्थल, वन अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भूमि हस्तान्तरण (डायवर्जन) के स्वीकृत प्रस्तावों के अनुरूप होने चाहिए।
7. निविदा प्रक्रिया एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव को सक्षम स्तर पर प्रेषित करने से बचने के लिए कार्यों/सामग्रियों को छोटे–छोटे टुकड़ों में न बांटा जाय।

(कार्यवाही–कैम्पा निधि के अंतर्गत कार्य करने/सामग्री/सेवाएं क्रय सम्बन्धी स्वीकृति जारी करने वाले समस्त सक्षम स्तर)

कार्यसूची बिन्दु संख्या–5.7: BSNL/Other Telecom Services के आम उपयोग समूह सुविधाएं (Common Use Group Facilities) का Plan लेने के प्रस्ताव पर तृतीय संचालन समिति द्वारा (16.05.2011) वन क्षेत्राधिकारी स्तर व वरिष्ठ अधिकारियों हेतु औसत रु0 500/– अधिकतम मासिक भुगतान कैम्पा निधि से करने हेतु व बिना हैण्ड सैट के CUG युक्त सिम कार्ड विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने के क्रम में वन विभाग में कार्यरत कार्मिकों को उक्त सुविधा प्रदान कराए जाने के प्रथम चरण में 500 अधिकारियों तथा 4500 कर्मचारियों को क्रमशः रु0 225/– तथा रु0 99/– का प्लान (BSNL से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर) एक वर्ष हेतु क्रय करने पर निम्नानुसार व्यय का अनुमान (प्राक्कलन) समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया:–

क्र0सं0	कार्मिकों का विवरण	संख्या	दर प्रति माह (रु0 में)	एक वर्ष हेतु धनराशि (लाख रु0 में)
1	वन क्षेत्राधिकारी स्तर व वरिष्ठ अधिकारीगण	500	225	13.50
2	कर्मचारी	4500	99	53.46
	योग –			**66.96 + टैक्स**

समिति द्वारा उपरोक्त रु0 66.96 लाख + टैक्स अतिरिक्त की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति उक्त कार्य हेतु स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना 2011–12 में NPV घटक की कार्यमद 1.e.11.1 - 1% Operational Expenses (Tour, communication, data entry, stationary & Other Miscellaneous etc.) में CUG हेतु प्राविधानित धनराशि के अंतर्गत प्रदान की गई।

उपरोक्त CUG Plan क्रय करने हेतु BSNL तथा IDEA से प्राप्त दरों के प्रस्ताव समिति के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किये गये कि उक्त दोनों Telecom Service Providers की दरों व उनकी सेवाओं की गुणवत्ता के अनुभवों पर विचार कर उक्त में से उपयुक्त Telecom Service Provider का चयन करने अथवा उक्त हेतु निविदा के माध्यम से दरें प्राप्त करने पर समिति मार्गदर्शन प्रदान करने चाहें। इस पर चर्चा में यह बिन्दु उभर कर आया कि फोन का CUG के बाहर अधिक उपयोग करने के कारण सम्बन्धित कर्मी हेतु निर्धारित राशि से अधिक का बिल आने पर बकाया राशि को कर्मी से प्राप्त करने/बिल भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी, का अध्ययन करते हुऐ मॉडल तैयार किया जाये। समिति द्वारा BSNL को वरीयता देने तथा Telecom Service Providers के साथ एक बार पुनः नेगोशियेशन करने के उपरान्त प्राप्त दरों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची कार्यकारी समिति–5.8: उत्तराखण्ड कैम्पा के लोगो (Logo) का अवलोकन करने के उपरान्त समिति द्वारा लोगो (Logo) के ऊपरी भाग से सूर्य एवं बादल को हटाये जाने, बायीं ओर के पर्वत को छोटा (Foothills) की तरह बनाने व साथ में कोनीफर के बजाय चौड़ी पत्ती का वृक्ष दर्शाने तथा दायीं तरफ के पर्वत को थोड़ा ऊँचा दर्शाने आदि संशोधन के सुझावों सहित उत्तराखण्ड कैम्पा के लोगो (Logo) का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा उक्त को संचालन समिति की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची कार्यकारी समिति–5.9.1: कार्यकारी समिति के सदस्य **"पर्यावरण राग जन जागृति समिति (पराज)"** संस्था नौगांव, उत्तरकाशी के अध्यक्ष श्री जगत सिंह चौहान द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अपर यमुना बड़कोट प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम भकोली स्थित वन रक्षक चौकी की चार दिवारी और वहां पर वन दरोगा आवास निर्माण करने का बिन्दु रखा गया।

उक्त पर समिति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुऐ यह निर्देश दिये गये कि उपरोक्त प्रभाग हेतु वर्ष 2011–12 के स्वीकृत APO में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत उक्त गतिविधि को किये जाने हेतु वर्ष 2011–12 के APO के संशोधन के प्रस्ताव में लाते हुऐ सम्बन्धित वन प्रभाग द्वारा अपने उच्च स्तरों के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना बडकोट व वन संरक्षक, यमुना वृत्त तथा मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल)

कार्यसूची कार्यकारी समिति–5.9.2: उत्तराखण्ड कैम्पा निधि पर प्राप्त ब्याज की धनराशि के सापेक्ष अलग से कार्ययोजना बनाने पर समिति द्वारा चर्चा की गई तथा कैम्पा निधि पर अब तक प्राप्त ब्याज का ब्यौरा आगामी कार्यकारी समिति में प्रस्तुत करने के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को निर्देश दिए गए, ताकि तद्नुसार प्राप्त ब्याज राशि के सापेक्ष कार्ययोजना बनायी जा सके।

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

10/9/2011

(डॉ0 आर0बी0एस0 रावत)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

****